

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

रामनारायण पुत्र फेफा मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी

बनाम

शंकर पुत्र गोपाल खटीक निवासी शक्करगढ वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 53 /2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुये
03-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम ब्रज की डूंगरी प.ह. शक्करगढ आराजी सं. 58, 91 कुल किता 02 रकबा 1.9182 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम ब्रज की डूंगरी प.ह. शक्करगढ आराजी सं. 58, 91 कुल किता 02 रकबा 1.9182 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 03/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/53/2024


दिनांक- 03/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 53 / 2024 अनवान रामनारायण पुत्र फेफा मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी बनाम शंकर पुत्र गोपाल खटीक निवासी शक्करगढ, रूप पुत्र मांगीलाल खटीक निवासी शक्करगढ, संपत पुत्र खन्ना खटीक निवासी शक्करगढ, गोपाल पुत्र खन्ना खटीक निवासी शक्करगढ, शंकर पुत्र गोपाल खटीक निवासी शक्करगढ, श्रीकिशन उत्तर रोडू मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, बरदा पुत्र नारायण मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, दामा पुत्र नारायण मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, महावीर पुत्र भागुता मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, मोहन मीणा पुत्र रोडू मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, भूरा पुत्र हजारि मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, भेरू पुत्र हजारि मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, लूणा पुत्र जालमा मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, संग्राम पुत्र भागुता मीणा निवासी अजीतिया, रमेश पुत्र रामलाल मीणा निवासी ब्रज की डूंगरी, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम ब्रज की डूंगरी प.ह. शक्करगढ आराजी सं. 58, 91 कुल कित्ता 02 रकबा 1.9182 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक शक्करगढ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं । पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा